भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

08AD 487178

खादी ग्राम उद्योग सेवा संस्थान कानपुर K-26330

संशो० - नियमावली

निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स कानपुर मण्डल, कानपुर (उ०प्र०)

सत्यमेव जयते

Secretary
Khadi Gramodyog Sewa Sansthan
G-15A/20 Chankyapuri, Kanpur

सत्य-प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स,सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल कानपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश

08A0 487177

खादी ग्रामउद्योग सेवा-
संस्थान -
कानपुर K-26330
संशो० स्मृतिपत्र

निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल, कानपुर (उ०प्र०)
सत्यमेव जयते

सत्य—प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल कानपुर

Secretary
Khadi Gramodyog Sewa Sansthan
G-15A/20 Chankyapuri, Kanpur

संशोधित स्मृति--पत्र

1. संस्था का नाम खादी ग्राम उद्योग सेवा संस्थान
2. संस्था का पता जी--15 ए/20 गुजैनी पो0 आफिस दादानगर , कानपुर नगर
3. संस्था का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तरप्रदेश
4. संस्था के उददेश्य

शिक्षा

1. समाज के समुचित विकास कार्यक्षेत्र में जनपदों प्रदेशों में भिन्न नामों से प्राइमरी, पूर्व प्राइमरीजूनियरहाईस्कूल हाईस्केल, इण्टरमीडिएट कालेज हिन्दी व अग्रेजी माध्यम से विद्यालय /कन्या व महिला इण्टर कालेज/ डिग्री कालेज को खोलना व चलाना। आवासीय विद्यालय विकलांग विद्यालय खोलना व चलाना।
2. अनुसूचित जाति अनुसूचिति जनजाति अल्पसंख्यकों व गरीबी रेखा के नीचे यापन कर रहे परिवारों को व उनके आश्रित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिये कार्य करना। मेधावी गरीब छात्र छात्राओं को उच्च स्तरीय शिक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षाओ की निःशुल्क तैयारी कराना तथा उन्हें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के नोटिस तैयार कराना उनकी प्रतिभाओं व व्यक्तित्त्व विकास में आवश्यक मार्गदर्शन देना।
3. बालश्रम विद्यालय खोलना व चलाना।
4. बी0एड0 कालेज,लॉ कालेज,डिग्री कालेज , इन्जीनियरिंग कालेज पालीटेक्निक व मेडिकल कालेज सहित उच्च स्तरीय शिक्षा हेतु प्रशासन की संक्षम अनुमति से खोलना व उन्हें संचालित करना।
5. उ0प्र0 सरकार की घोषित नीति एवं योजना कार्यक्षेत्र की महिलाओं व सर्वांगीण विकास हेतु महिला इण्टर कालेज व महिला इण्टर कालेज खोलना व उसे चलाना।

तकनीकी एवं प्राविधिक शिक्षा :--

1. शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों के लिये तकनीकी एवं रोजगारपरक शिक्षा के अर्न्तगत प्रशिक्षण केन्द्रो को खोलना व चलाना। इस हेतु विभिन्न विभागों से योजनाओं व कार्यक्रमों को लेना व चलाना।इसके लिए शिल्प कला केन्द्र की स्थापना करना उसको चलाना तथा उसके अर्न्तगत विभिन्न वर्गो की व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा देने की व्यवस्था करना ।
2. अनौपचारिक शिक्षा , प्रौढ शिक्षा व तकनीकी एवं रोजगारपरक शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु सभी प्रकार की कार्य योजना के संचालन हेतु स्कूल कालेज व प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना प्रबन्धन एवं अनुरक्षण करना।
3. युवा वर्ग के व्यवसायिक कौशल शारीरिक आर्थिक, बौद्विक ,नैतिक ,शारीरिक ,चारित्रिक ,शैक्षिक विकास एवं उत्थान तथा राष्ट्रीय एकता, एकाकीकरण ,सामाजिक सहभागिता एवं

सत्य--प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

Secretary
Khadi Gramodyog Sewa Sansthan
G-15A/20 Chankyapuri, Kanpur

युवा नेतृत्व परिप्रेक्ष्य में समस्त प्रकार की कार्य योजनाओं का संचालन प्रबन्धन एवं अनुरक्षण करना।

4. महिला बाल युवा प्रौढ विकास कार्यक्रम विज्ञान शिक्षा एवं निःशुल्क प्रशिक्षण कला कौशल का विकास हेतु सिलाई , कताई, बुनाई , हस्तशिल्प ,दस्तकारी, कम्प्यूटर प्रशिक्षण , टाईप एवं शार्टहैण्ड प्रशिक्षण , रेडीमेड गारमेण्ट , फैशन डिजाइनि फंल , संरक्षण दाल प्रशोधन सहित तमाम रोजगारपरक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
5. समाज के शैक्षिक स्तर बढाने शिक्षण संस्थाओं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना तथा उन्हें संचालित करना तथा प्रशिक्षित छात्र छात्राओं को पुर्नवासित एवं रोजगार में लगाना।
6. आंगनवाडी बालवाडी प्रौढ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा तथा ट्राइसेम योजना के अर्न्तगत कार्यक्रमों का संचालन करना।

## बाल एवं महिला कल्याण के कार्यक्रम :–

1. क्षेत्र के बेसहारा अनाथ बच्चों व व्यक्तियों के लिये भोजन निःशुल्क आवास आदि की व्यवस्था करना। अनाथालय खोलना।
2. केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार की सरकारी संस्थाओं / विभागों से शहर व ग्रामीण क्षेत्र में जनहित का कार्य कराने में सहयोग करना। इस हेतु सांसद निधि विधायक निधियों से ग्रामीण व अविकिसित क्षेत्र में विकास एवं सहयोग लेना।
3. जागरुकता विकास के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक मानसिक बौद्धिक, शैक्षिक, शारीरिक एवं समाजिक उन्नयन हेतु समस्त प्रकार की आयोजित प्रायोजित कार्य योजनाओं का संचालन प्रबन्धन एवं अनुरक्षण करना।
4. वृद्ध , विकलांग , मानसिक रूप से कमजोर , विधवा , पतिता, परित्यक्तता, समाज शोषित, निराश्रित ,कुष्ठ रोगियों , अनाथ मुक्त हुये बाल श्रमिकों , देह व्यापार से मुक्त हुयी महिलाओं एवं उनके बच्चों झुग्गी झोपडी में निवास करने वाले संसाधन विहीन परिवारों एवं भिक्षुओं के उत्थान पुर्नस्थापन एवं समग्र विकास हेतु कार्ययोजनाओं का संचालन प्रबन्धन एवं अनुरक्षण करना। उनके लिये शिक्षा के अवसरों का सृजन करना। विद्यालयों को खोलना तथा ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करना जिसके माध्यम से उन्हें रोजगार के अवसर मिल सकें।
5. महिलाओं को स्वावलम्बी व आत्म निर्भर बनाने हेतु महिला विकास कार्यक्रम प्रौढ महिला शिक्षा (सी0सी0) महिला व्यवसायिक प्रशिक्षण (वी0टी) की व्यवस्था करना व ऐसी योजनाओं को लेना व उनका संचालन करना।
6. गांधी विचारधारा के अर्न्तगत साहित्य का प्रचार एवं प्रसार एवं जनजीवन को रचनात्मक कार्यो की ओर अग्रसर करने का प्रयास करना निर्धन एवं असहाय छात्र छात्राओं को ग्रामोद्योग आदि की शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिलाने का प्रबन्ध करके ग्रामोद्योग व कुटीर उद्योग की स्थापना के प्रयास करना ताकि वे स्वावलम्बी की ओर अग्रसर हो सके।
7. बाल विकास , महिला कल्याण तथा बच्चों की स्वास्थय रक्षा के लिये टीकाकरण तथा स्वास्थय शिविरों का आयोजन करना।
8. निराश्रित एवं साधनहीन महिलाओं एवं लडकियों के लिये अल्पकालीन निवास शार्ट स्टे होम की स्थापना करना उन्हें प्रश्रय प्रदान करना तथा उनको रोजगारके अवसर उपलब्ध कराकर पुर्नवासित करना व कराना।

सत्य–प्रतिलिपि

ज्ञानेन्द्र इन्द्रा सिंह

Ajay Singh

Vitesh Singh

Secretary
Khadi Gramodyog Sewa Sansthan
G-13A/20 Chankyapuri, Kanpur

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

9. अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक आर्थिक एवं सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना तथा उपयुक्त वातावरण निर्माण हेतु उपयोगी ज्ञान का प्रचार प्रसार करना।
10. समाज में विज्ञान के लोकप्रियकरण व विज्ञान के प्रचार हेतु गोष्ठियों एव प्रर्दशिनियों का आयोजन करना तथा समाज के विज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा वैज्ञानिक आविष्कार के उन्नयन हेतु सरकार द्वारा आयोजित योजनओं व कार्यक्रमों का संचालन प्रबन्धन व अनुरक्षण करना।
11. गांवों में शहर की ओर पलायन समस्या व निदान ग्रमीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या व निदान कृषि क्षेत्र की समस्याओं व उनके निदान सिंचाई क्षेत्र में कृषकों की भागीदारी ग्रमीण क्षेत्र में शिक्षा की समस्या और उनके निदान पंचायतीराज व्यवस्था आदि पर विचार गोष्ठियों सेमिनारों का आयोजन करना कराना। उपयोगी ज्ञान का प्रचार प्रसार करना तथा इस हेतु सरकारी एवं जनसहयोग को प्राप्त करने के प्रयास करना।
12. बेरोजगार एवं शिक्षित बेरोजगार युवक, युवतियों के लिये प्रशिक्षण देकर लघु उद्योगों की स्थापना के लिये तैयार करना व उन्हे वित्तीय संसाधन प्राप्त करने सम्बन्धी शासन प्रशासन की नीतियों योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी कराना।
13. ग्रमीण समाज के लोगों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने हेत रोजगार के अवसरों का सृजन करना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ करने के लिये कृषि की वैज्ञानिक तकनीकी आधुनिक उपकरणों वैज्ञानिक कृषि संयत्रों के प्रति प्रोत्साहन व पशुपालन ग्रामोद्योग तथा अन्य सेवाओं के लिये विस्तृत योजनाओं को बनाना तथा सरकार द्वारा संचालित ऐसी योजनाओं कार्यक्रमों से लाभान्वित कराना।
14. समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, सिप्सा, नाबार्ड, आवार्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यूनिसेफ इत्यादि के सहयोग से महिलाओं एंव बालविकास कार्यक्रमों ग्रामीण विकास परियोजनाओं का प्रचार प्रसार एव उनमें फेलोशिप प्राप्त करना।
15. समाज के हर आयु, जाति, धर्म एवं समुदाय के लोगों में अल्पबचत की भावना का विकास प्रचार प्रसार करना एवं भौतिक क्रियान्वयन करना इस हेतु स्वयं सहायता समूहों का गठन, विकास एवं उन्हें समस्त प्रकार के मार्गदर्शन एवं भौतिक सहयोग प्रदान करना।
16. मानसिक शैक्षिक वैज्ञानिक बौद्दिक तकनीकी सांस्कृतिक आर्थिक एवं ग्रमीण विकास स्वच्छ पेयजल इत्यादि के क्षेत्र में समाज के हर व्यक्ति जाति धर्म समुदाय के लोगों हेतु प्रशिक्षण सर्वेक्षण अनुसंधान तथा समस्त भौतिक उन्नतिवादी कार्य योजनओं का सम्पादन करना तथा उक्त विषयक जागरूकता विकास हेतु परामर्श, पाठय सामग्री उपलब्ध कराना।
17. लोक संगीत एवं भारतीय संस्कृति की सुरक्षा संवर्द्धन हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा इन कलाओं के कलाकारों को सृजित व सुरक्षित करना।
18. गरीब लडकियों की शादी आदि में मदद करना।

संस्था विदेशों से दान अनुदान एवं अन्य रूपों से सहायता लेने के प्रयास करेगी जिसके लिये आवश्यक सभी अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करेगी।

सत्य-प्रतिलिपि

Ajay Singh

Vijay Singh

Secretary
Khadi Gramodyog Sewa Sansthan
G-15A/20 Chankyapuri, Kanpur

वरिष्ठ सहायक
... फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल कानपुर

## सामाजिक एवं स्वास्थय कार्यक्रमः—

1. भारतीय भाषाओं साहित्य प्राचीन संस्कृति लोक परम्पराओं ,पुरातत्वावेशों नैतिक मूल्यों शिल्प कलाओं , रीति रिवाजों के उत्थान जनक संरक्षण परक व्यवस्थित कार्य योजनाओ हेतु भौतिक प्रयासों का कियान्वयन संरक्षण व प्रबन्धन करना।
2. वृद्वजनों के हितों के प्रति जागरूक रहना। उनके कल्याण हेतु वातावरण तैयार करना तथा परिवार से तिरस्कृत वृद्वजनों के लिये वृद्वाश्रम स्थापित कर उनके स्वस्थ मनोरंजन भोजन स्वास्थय सुरक्षा देख रेख आदि की समुचित व्यवस्था करना।
3. समाज में फेली कुरीतियों , विकासात्मक एवं उत्थानपरक अवरोधी को दूर करने एवं समूल नष्ट करने हेतु उपयोगी ज्ञान का प्रचार प्रसार सामाजिक जागरूकता तत्सम्बन्धी समस्त प्रकार के कार्यकमों का आयोजन व संचालन करना।
4. नशा मुक्त समाज का निर्माण करना इसके दुष्प्रचार के प्रभाव से जनमानस को जागृत करना।
5. समाज में व्याप्त छुआछूत मद्वपान दहेज प्रथा अन्धविश्वास निरक्षरता बाल विवाह भ्रूण परीक्षण आदि कुप्रथाओं को नष्ट करने हेतु जनमानस में चेतना जागृत करना।
6. सडक परिवहन से सम्बन्धित कार्यकमों का आयोजन तत्सम्बन्धी कियाकलों नियमों कानूनों की जानकारी व प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करना।
7. नागरिक सुरक्षा एवं अग्निशमन यंत्र का प्रशिक्षण का आयोजन कराकर नागरिकों को इसकी जानकारी देना।
8. राष्ट्रीय पर्वो एवं त्योहारों पर कार्यकमों का आयोजन कराना।
9. महापुरूषों की जयन्तियों पर कार्यकम आयोजित कर उन्हें परम्परागत ढंग से मनाना।

## ग्रमीण विकास कार्यक्रमः—

1. कृषि दिविधीकरण हेतु कृषकों को सामान्य फसलों के अतिरिक्त व्यवसायिक फसलों जैसे औषधीय पादप तथा अन्य के प्रति जागरूक करना तथा इनके उत्पादन के लिये प्रयास करना।
2. गोशाला बनवाना व जीर्णोद्वार कराना।
3. नहरों व छोटी नहरों के किनारों वृक्षारोपण कराना।
4. अनुपयुक्त भूमि को कृषि योग्य बनवाना एवं उन्नतिशील पद्वति से खेती कराने के प्रशिक्षण एवं सेमिनार कराना आदि।
5. ऊसर सुधार योजना चालू कराना।
6. तंग जगहों व खाली तथा नालों आदि की जगह पर पुलिया नालियां बनवाना।
7. गांवों में खड़न्जा आदि आने जाने हेतु तैयार कराना।
8. पीने के पानी का साधन जैसे कुआं बनवाना व हैण्ड पाइप आदि लगवाना।
9. ग्राम समाज की अनुपयुक्त व ऊसर भूमि को कृषि योग्य तैयार कराना।
10. आवारा पशुओं हेतु मवेशीखाना तैयार कराना।
11. शहरी एवं ग्रमीण स्वच्छता एवं पेयजल सम्बन्धी समस्त कार्यकम कराना।

सत्य—प्रतिलिपि

Secretary
Khadi Gramodyog Sewa Sansthan
A/20 Chankyapuri, Kanpur

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल कानपुर

ज्ञान सिंह
Ajay Singh
Vijay Singh

## विकलागों के कल्यानार्थ कार्यक्रम :—

1. विकलांगों को समाज में समुचित व सम्मानजनक स्थिति में लाने हेतु उन्हें स्वावलम्बी बनाना उन्हें साक्षर व तकनीसियन बनाने हेतु विकलांग अवासीय विद्यालय/ विकलागं छात्रावास आदि की व्यवस्था करके उनके शिक्षण प्रशिक्षण आवास भोजन स्वास्थय आदि की समुचित व्यवस्था करना।
2. मूक बधिर विद्यालयों की स्थापना करना।
3. विकलागों के लिये कृत्रिम अंगों व विकलांग उपकरणों का मुफत वितरण करना व कराना।

4.निःशक्त व्यक्तियो की भिन्न श्रेणीयो के लिए शैक्षिक/व्यवसायिक प्रशिक्षण और पुर्नवासन योजनाए ,सहायक उपकरणो के कय/साधित्र के लिए निःशक्त व्यक्तियो की सहायता की योजनाए, कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्तियो के पुर्नवासन के लिए योजनाए,प्रमस्तिष्कीय अंग घात और मानसिक रोग से दुर्बल व्यक्तियो के लिए योजनाए,विकलांग बच्चो के लिए विशेष प्रकार के विद्यालय की योजनाए आदि ।

## .पर्यायवरण :—

1. संस्था मुख्य रूप से समाज की सुख शान्ति एवं खुशहाली के वातावरण को तैयार करने हेतु पर्यावरण को सुरक्षित एवं सन्तुलित एवं सुरक्षित रखने की दशा में प्रयास करेगी इसके लिये समाज को सम्पूर्ण रूप से जागरूक बनायेगी तथा ऐसे समस्त योजनाओं व कार्यक्रमों को समय समय पर आयोजित करके स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान करेगी। पर्यायवरण सम्बन्धी शिविर सम्मेलनों गोष्ठियों एवं सेमिनारों पदयात्राओं का आयोजन कराना तथा पर्यायवरण से सम्बन्धित सामग्रियों का प्रकाशन व मुफत वितरण की व्यवस्था करना।
2. पर्यायवरण सम्बन्धी जानकारी जनमानस को देना तथा पर्यायवरण सुरक्षा संरक्षण के उपायों को बताने में मदद करना। तथा ऐसे कार्यक्रम कार्ययोजनाओं को कियान्वित व कराना जिनसे पर्यायवरण सुरक्षा संवर्द्धन हो सके।
3. जैविक खाद के उपयोग, प्रचार प्रसार तथा किसानो को इसकी उपयोगिता के बारे मे सभी प्रकार के प्रशिक्षण देने से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की योजनाए संचालित करना।
4. ठोस अवशिष्टो के समुचित प्रबन्धन हेतु उपयोगी ज्ञान का प्रचार प्रसार करना तथा क्षेत्र में ठोस अवशिष्ठो के कारण फैल रही प्रदूषण रसायनिक कियाओ की जानकारी तथा उसके निदान के लिए कार्यक्रम तैयार करना।
5. जल प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण व वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु कार्यकमो का आयोजन करना एवं कराना।

## ऊसर भूमि सुधार कार्यकम

ऊसर भूमि सुधार एवं परती भूमि विकास पर कार्य करना एवं सरकार एवं गैर सरकारी निदेशों के अनुसार लोगो को प्रशिक्षित कर ऊसर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु प्रशिक्षित करना ताकि वे अपनी उपज का लाभ प्राप्त कर सके।

## चिकित्सा सम्बन्धी कार्यक्रम

1. इस संस्था का मुख्य उददेश्य स्वस्थ समाज का निर्माण में अपना योगदान देना होगा।

सत्य—प्रतिलिपि

Secretary
Khadi Gramodyog Sewa Sansthan
G-15A/20 Chankyapuri, Kanpur

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स,सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल कानपुर

शान्ति देवी इन्द्रा सिंह
Ajay Singh
Vijay Singh

2. संस्था अपने कार्य क्षेत्र के नागरिको को निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओ को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी।
3. संस्था अपने कार्य क्षेत्र के अर्न्तगत गरीब परिवार को निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण रोगो की पहचान तथा उनके उपचार के बारे मे आवश्यक जानकारी जन साधारण को देगी।
4. संस्था के द्धारा देश प्रदेश के अर्न्तगत गरीबो की मदद के लिए निशुल्क स्वास्थ्य शिविरो का आयोजन करेगी ।
5. मातृ एवं शिशु कल्याण के लिए योजनाओ व कार्यकमो को चलाना।
6. बच्चो को संकामक रोगो की रोकथाम हेतु शासन प्रशासन की सक्षम अनुमति के उपरान्त उनका टीकाकरण कराना।
7. परिवार कल्याण की योजनाओ परिवार नियोजन कार्यकमो का आयोजन करके समाज से जनसंख्या के बढते हुए घनत्व को नियन्त्रित करने के उपायो को करना इस हेतु शासन प्रशासन की परिवार कल्याण नीति एवं योजनाओ की जानकारी समाज के सभी वर्गो को उपलब्ध कराकर अपनाने के लिए प्रेरित करना।
8. ग्रामीण अचलो व मलिन बस्तियो के सुधार व शिक्षा स्वास्थ्य एवं विकास की योजनाओ को पहुचाने का प्रयास करना।
9. संस्था दूरस्थ क्षेत्रो के लिए मोबाइल चिकित्सा की व्यवस्था करेगी इसके लिए गांव व शहर से अपनी मोबाइल समुचित दवाइयो एवं सुयोग्य चिकित्सको को भेजने की व्यवस्था करना।
10. संस्था अपने कार्य क्षेत्र के अर्न्तगत स्वास्थ्य शिविरो का आयोजन करके मरीजो की पहचान उनके इलाज की समुचित व्यवस्था करना।
11. गरीबो के इलाज की निशुल्क व्यवस्था करना उन्हे भोजन दवा व रहने का स्थान उपलब्ध कराना।
12. नेत्र चिकित्सा शिविरो का आयोजन कराकर समाज से अन्धता निवारण के लिए कार्य करना।
13. मातृ एवं शिशु कल्याण, परिवार कल्याण, पर कार्य करना इनसे सम्बन्धित योजनाओ व कार्यकमो को लेना व चलाना।
14. एडस पर कार्य करना। एडस के विरूद्ध समुचित जानकारी समाज के सभी वर्गो के लोगो को देकर एडस पर नियंत्रण का प्रयास करना।
15. नशा मुक्ति केन्द्र की स्थापना करना तथा इस रोग से ग्रस्त लोगो का इलाज की समुचित व्यवस्था करना।
16. निर्धन वर्ग को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना तथा चिकित्सा से सम्बधित हर प्रकार की मदद व जांच आदि के खर्चा सोसायटी की ओर से वहन करना।आवश्यकतानुसार अस्पताल परिवार परामर्श केन्द्र आदि की स्थापना करना व उनका संचालन व प्रबन्ध करना।

.संस्था दंगा आगजनी,बाढ, सूखा तथा अतिवृष्टि एक्सीडेण्ट आदि से पीडित जनता के मध्य राहत का कार्य करेगी। वहा पर स्वास्थ्य शिविरो का आयोजन करेगी, पीडितो के इलाज की समुचित व्यवस्था करेगी उनको वस्त्र भोजन तथा दवा आदि का मुफ्त वितरण कराना तथा उनके पुर्नवास के लिए प्रयास करना व इसकी समुचित व्यवस्था करना।

सत्य–प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

कार्यालय सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

Secretary
Khadi Gramodyog Sewa Sansthan
G-15A/20 Chankyapuri, Kanpur

इन्द्रा सिंह
Ajay Singh
Vijay Singh

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु. 10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

42AE 995729

खादी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान

कानपुर फाइल सं. 1626 330

के साथ संलग्न है

खादी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान प्रबन्ध समिति सूची वर्ष 2022-23

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्या. सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर
07/10/2022

Secretary
Khadi Gramodyog Sewa Sansthan
G-15A/20 Chankyapuri, Kanpur

# खादी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान

जी, 15–ए/20 गुजैनी, पो0आ0 दादा नगर, कानपुर नगर

## प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष 2022–23

| क्र. सं0 | नाम | पिता/पति का नाम | पता | पद | व्यवसाय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री ज्ञान सिंह | श्री सूरज सिंह | जी–15ए/20 गुजैनी, दादा नगर, कानपुर नगर | अध्यक्ष | नौकरी |
| 2. | श्री विजय सिंह | श्री लल्ला सिंह | ग्राम भदौरियन पुरवा, पो0 रुरुकलां, जनपद औरैया | उपाध्यक्ष | समाजसेवा |
| 3. | श्री श्रीश दत्त काला | श्री नंदा दत्त काला | एच0आई0जी0 374 रतनलाल नगर, उद्योग नगर कानपुर नगर | मंत्री | समाजसेवा |
| 4. | सुश्री अंजली सिंह | श्री राम बहोरन सिंह | ग्राम ईश्वरीगंज उदयपुर कानपुर नगर | कोषाध्यक्ष | समाजसेवा |
| 5. | श्रीमती इन्द्रा सिंह | श्री सत्यभान सिंह | ग्राम व पो0 खड़ेसर जनपद कानपुर देहात | सदस्य | समाजसेवा |
| 6. | श्रीमती नीलम सिंह सेंगर | श्री रणविजय सिंह | ग्राम अस्वाकपुर घाटमपुर कानपुर नगर | सदस्य | ग्रहणी |
| 7. | श्री ओम प्रकाश कुशवाहा | श्री शिव बालक कुशवाहा | ग्राम पलरा उदयपुर कानपुर नगर | सदस्य | समाजसेवा |
| 8. | श्रीमती मीनू सिंह | श्री गौरव सिंह | 7सी/301 कल्पतरू एस्टेट फेज–3, जवालकर नगर पिंपले पूरब पुणे, महाराष्ट्र | सदस्य | समाजसेवा |
| 9. | श्री शुभम मिश्रा | श्री कमलेश मिश्रा | जी–321 गुजैनी उद्योग नगर, कानपुर नगर | सदस्य | समाजसेवा |

सत्य प्रतिलिपि

ह0 मंत्री

हस्ताक्षर

1. इन्द्रा सिंह
2.
3.

हस्ताक्षर पूर्व प्रबन्धकारिणी समिति

इन्द्रा सिंह Vijay Singh

Secretary
Khadi Gramodyog Sewa Sansthan
G-15A/20 Chankyapuri, Kanpur

## संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम खादी ग्राम उद्योग सेवा संस्थान
2. संस्था का पता जी–15 ए/20 गुजैनी पो0 आफिस दादानगर , कानपुर नगर
3. संस्था का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तरप्रदेश
4. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :

प्रत्येक वह व्यक्ति जो भारतीय नागरिक हो , उम्र से बालिग हो, संस्था के उदद्श्यो में आस्था व विश्वास रखता हो, नियमावली का पालन करने के लिए वचनवद्व रहे, इस संस्था का सदस्य बन सकता है या बनाया जा सकता है। समस्त प्रकार के सदस्य संस्था मे अध्यक्ष की अनुमति से मंत्रीके द्वारा बनायें जायेगें। मंत्री किसी भी व्यक्ति को उसके गुणावगुणो के आधार पर सदस्यता हेतु स्वीकार करने या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

संस्थापक सदस्य :– इस संस्था की स्थापना करने वाले व्यक्ति संस्थापक सदस्य होगे ।प्रत्येक संस्थापक सदस्य को संशोधन पंजीयन के एक वर्ष के भीतर संस्था को 1000.00 रू0 नकद देकर मंत्री से संस्थापक सदस्य होने का प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।

सभी संस्थापक सदस्य इस संस्था के आजीवन सदस्य रहेगे। इन्हे आजीवन सदस्यता के अधिकार से वंचित नही किया जा सकेगा। संस्थापक सदस्य स्वतः त्यागपत्र देकर उस स्थिति मे हट सकते है जब उनका त्यागपत्र शेष कार्यकारिणी द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो।

3. संस्थापक सदस्य अनिवार्य व स्थायी रूप से प्रबन्ध समिति के अर्न्तगत सामिल रहेगे ।

4 संशोधन के उपरान्त से ही यह नियम लागू होगे ।

सामान्य सदस्य :– जो व्यक्ति इस संस्था को 100/– एक सौ रूपया नकद एक बार मे देगें तथा संस्था के नियमो का पालन करेगें वे इसके सामान्य सदस्य होगें । प्रतिवर्ष अप्रैल माह मे अपनी सदस्यता का नवीनीकरण कराना होगा। नवीनीकरण के समय प्रत्येक सदस्य को 100–00 रू0 देना होगा।

आजीवन सदस्यः–संस्थापक सदस्य संस्था के आजीवन सदस्य होगे इनके अतिरिक्त जो व्यक्ति इस संस्था को 5000–00 रू0 'पांच हजार रूपया' नगद या समान मूल्य की चल अचल सम्पत्ति देंगे वे इसके आजीवन सदस्य होगे।

सत्य–प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

Secretary
Khadi Gramodyog Sewa Sansthan
G-15A/20 Chankyapuri, Kanpur

Ajay Singh
Vijay Singh

सदस्यता की समाप्ति :–
मृत्यु हो जाने पर ।पागल, कोढ़ी या दिवालिया हो जाने पर।
न्यायालय द्वारा किसी नैतिक अपराध में दण्डित होने पर।नियमित सदस्यता शुल्क न देने पर।
बिना पूर्व सूचना के अनुसार लगातार 3 या इससे अधिक बैठको मे अनुपस्थित रहने पर ।
त्यागपत्र देने व उसके स्वीकार हो जाने पर।संस्था विरोधी कार्य करने पर अथवा कोई ऐसा कार्य करने पर जिसके कारण संस्था को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति पहुँचे या पहुँचने की सम्भावना बने।
उपरोक्त एक या एक से अधिक कारण लागू होने पर किसी भी सदस्य या पदाधिकारी की सदस्यता को समाप्त किया जा सकेगा

6. संस्था के अंग :–
साधारण सभा
प्रबन्धकारिणी समिति

7.साधारण सभा :–
1.गठन :–नियम 4 के अर्न्तगत निर्धारित सभी सदस्यों को मिलाकर संस्था की साधारण सभा का गठन होगा।
2.बैठके :– सामान्य व विशेष :– साधारण सभा की साल मे एक बार बैठक बुलायी जाना अनिवार्य है । विशेष साधारण सभा का आयोजन कभी भी संस्था के अध्यक्ष की अनुमति से किया जा सकेगा।सभी प्रकार की बैठको का आयोजन मंत्री द्वारा किया जायेगा ।
3.सूचना अवधि :– साधारण सभा की सामान्य बैठको की सूचनाए 15 दिन पूर्व व विशेष बैठको की सूचनाए 7 दिन पूर्व प्रसारित करना अनिवार्य होगा।
4.गणपूर्ति :–
कुल सदस्य की उपस्थिति गणपूर्ति मानी जायेगा। कोरम के अभाव में स्थगित बैठको के पुनः आयोजन पर कोरम का प्रतिबन्ध नही रहेगा। परन्तु विषय व एजेण्डा पूर्ववत ही रहेगा।
5.विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि आदि
संस्था अपना वार्षिक अधिवेशन प्रति वर्ष मनाया करेगी और जिसकी तिथि बहुमत द्वारा तय की जायेगी।
6. साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :–
1 प्रबन्ध समिति का चुनाव करना।
2 वार्षिक आय व्यय का बजट पास करना।

सत्य–प्रतिलिपि

Secretary
Khadi Gramodyog Sewa Sansthan
G-15A/20 Chankyapuri, Kanpur

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

Ajay Singh
Vijay Singh

3. किसी उददेश्य विशेष की पूर्ति के लिए नियम उपनियम बनाना, आवश्यकतानुसार उपसमितियो का गठन करना उनके पदाधिकारियो का मनोनयन करना तथा उनके अधिकारो व कर्तव्य का निर्धारण करना।

7.कार्यकाल :– प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पॉच वर्ष का होगा

9.प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारीयों का अधिकार व कर्तव्य :–

अध्यक्ष–

1..सभी प्रकार की बैठको के आयोजनो की तिथियॉ निश्चित करना व निरस्तीकरण आदि के निर्गत प्रबन्धक/मंत्रीकी संस्तुति से लेगा तथा आयोजित बैठकों की अध्यक्षता करना एव बराबर मत आने पर अपना मत निर्णायक रूप में देना।

मंत्री

1.मंत्रीही इस समिति व इसके द्वारा संचालित संस्थाओ का प्रबन्धक/मंत्रीहोगा।

2. मंत्री समिति के पारित प्रस्तावो संचालित योजनाओ के कियान्वयन मे मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी एव कार्यपालक के रूप मे कार्य करेगा।

3.समिति व संचालित संस्थाओ के लिए पारित प्रस्तावों के क्रियान्वित करना व कराना।

4.समिति व संचालित संस्थाओं को प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के दान अनुदान चन्दा व अन्य प्रकार की सहयोग व सहायताओ को प्राप्त करना व उनकी प्राप्तियों पर हस्ताक्षर कराना।बैको से वित्तीय सहायता लेना, बैक से फेन्चाइजी प्राप्त करके अपने सदस्यो को आवश्यश्कतानुसार वित्तीय सहायता देना।

5.समिति के लिए समस्त प्रकार के वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति विमुक्ति पदोन्नति निष्कासन एवं निलम्बन आदि कमेटी के निदेशानुसार निर्णय लेना।

6.संस्था की ओर से समस्त बिलो बाउचरो पर अपने हस्ताक्षर करना।

7.समिति की ओर से समस्त पत्रव्यवहार करना।

8.समस्त प्रकार की बैठकों की सूचनाओं को प्रसारित करना व उनके एजेण्डा आदि तैयार करना तथा बैठको की कार्यवाही को कार्यवाही रजिस्टर पर लिपिवद्व करना ।

9.संस्था के लिए समस्त प्रकार के सदस्यमंत्रीद्वारा बनाये जायेगे उनका रिकार्ड रखना तथा वार्षिक सदस्यता सूची का प्रकाशन करना।

10.संस्था का समस्त स्त्रोतों से अर्जित धन को संस्था के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पो0 आ0 में खाता खोलकर जमा करना या कराना तथा अध्यक्ष के साथ संयुक्त हस्ताक्षर करकें खाता संचालन करना।मंत्री संस्था के आय व्यय सम्बन्धी समस्त जानकारी अध्यक्ष को अनिवार्य रूप से देगा तथा अध्यक्ष को विश्वास मे लेकर ही समस्त प्रकार के व्यय करेगा। संस्था की आयव्यय की रूप रेखा तैयार

सत्य–प्रतिलिपि

Secretary
Khadi Gramodyog Sewa Sansthan
G-15A/20 Chankyapuri, Kanpur

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

Ajay Singh
Vinay Singh

करने मे अध्यक्ष की सलाह लेना तथा उसका उसके बारे मे सम्पूर्ण जानकारी देना आवश्यक होगा।

11.उपसमितियों के कार्य संचालन पर निगरानी रखना।

संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्व होने वाली समस्त अदालती कार्यवाही में संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

12.संस्था की ओर से समस्त प्रकार के लेनदेन करना।

13. बिलो बाउचरो का भुगतान करना एवं उसकी जानकारी व पुष्टि अध्यक्ष से कराना ।।

14. सस्था का प्रतिनिधित्व विभिन्न विभागो मे करना।

15 संस्था का समस्त रिकार्ड तैयार करना कराना व उसको अपनी सुरक्षा एवं संरक्षण मे रखना।

3.उपाध्यक्षः— अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे उसके अधिकारो कर्तव्यो का पालन व प्रयोग उस सीमा तक करना जिस सीमा तक कमेटी द्वारा अधिकृत किया गया हो। साभान्य स्थिति मे अध्यक्ष के सहयोगी के रूप मे कार्य करेगा।

10.संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :— साधारण सभा के 2/3 बहुमत से संस्था के नियमों एवं विनियमों मे संशोधन परिवर्तन एवं परिवर्द्वन स्वीकार होगें।

11.संस्था का कोष-- संस्था का समस्त कोष किसी मान्यता प्राप्त बैंक में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका मंत्री के साथ अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरो से किया जायेगा।

12. संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण — संस्था का आय व्यय संस्था की साधारण सभा प्रति वर्ष बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। आडीटर/चार्टिड एकाउण्टेण्ट की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा की जायेगी। जो संस्था का आडिट करेगा।

13. संस्था द्वारा अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व —

यदि संस्था किसी पर मुकदमा चलाती है या संस्था पर कोई मुकदमा चलाया जाता है तो समस्त अदालती कार्यवाही संस्था के मंत्री के पद नाम से या उसके पद नाम के विरूद्व की जायेगी। प्रबन्ध समिति चाहे तो इसके लिए किसी कानूनी सलाकार की नियुक्ति कर सकेगी ।

14. संस्था के अभिलेख

संस्था के निम्नलिखित अभिलेख होगें :--

1.सदस्यता रजिस्टर

2.सूचना रजिस्टर

सत्य—प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

Secretary
Khadi Gramodyog Sewa Sansthan
G-15A/20 Chankyapuri, Kanpur

Ajay Singh
Vijay Singh

3.कार्यवाही रजिस्टर
4.स्टाक रजिस्टर
5.कैश बुक आदि

15. आय के श्रोत

1. सदस्यता शुल्क से व पब्लिक व सरकार से प्राप्त दान अनुंदान व चन्दा से ।
2. राज्य सरकार केन्द्र सरकार व उ सके विभागो अनुभागो से प्राप्त अनुंदान व ऋण आदि से अर्जित आय।
3. संस्था के द्वारा उत्पादन एवं बिक्री से अर्जित आय ।संस्था की चल अचल सम्पत्ति भूमि भवन से अर्जित आय ।संस्था के भवनादि के किराया से अर्जित आय ।
4. संस्था के द्वारा आयोजित कार्यकमो से अर्जित आय ।
5. संस्था के बैंक मे जमा धनराशि से प्राप्त व्याज आदि से आय ।
6. अन्य विविध स्त्रोतो से अर्जित आय ।

16. ऋण अदायगी का उत्तरदायित्व

संस्था अपने उददेश्यो की पूर्ति के लिए किसी भी बैंक या वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले स्त्रोत से ऋण प्राप्त करेगी इस हेतु संस्था प्राप्त ऋण के विपक्ष मे व ऋणदाता के पक्ष मे अपनी अचल सम्पत्ति बतौर जमानत बन्धक करेगी।यदि जमानत के लिए संस्था के पास निजी अचल सम्पत्ति नही है या प्र्याप्त नही है तो संस्था के सदस्य/सदस्यो के द्वारा अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति को बतौर जमानत बन्धक किया जा सकेगा।इस ऋण अदायगी का उत्तरदायित्व सभी सदस्यो पर होगी ।

17.विघटनः--

संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि

सत्य-प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल कानपुर
11/11/16

Secretary
Khadi Gramodyog Sewa Sansthan
G-15A/20 Chankyapuri, Kanpur

Ajay Singh
Vijay Singh
इन्द्रा सिंह